

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन**  
**सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004**  
**//आदेश//**

भोपाल, दिनांक 9-4-2018

क्रमांक/ 750 /438/आउशि/अनु.ब/17. म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-73/52/38-3/99 दिनांक 28/10/1999 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उसमें कंडिका-10 पर अंकित शर्त जिसमें 01.01.96 से वेतनमान लागू होगा परन्तु अन्य सुविधाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.7.98 अथवा 6.11.98 से लागू मानी जावेगी।

2. उक्त अनुक्रम में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28/10/99 एवं म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट के स.क्र.-4 में उल्लेखित अर्हता के अनुसार परीक्षणोपरान्त पूर्व में विश्वविद्यालय की अनुवीक्षण समिति की आदेश दिनांक 28.10.99 की कंडिका-7(अ) के तहत अनुशंसा अनुसार स्वीकृत किये गये प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अनुदान प्राप्त अशासकीय सेंट एलायसिस महाविद्यालय, जबलपुर के निम्न सहायक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी/अधिकारियों को पात्रतानुसार संबंधित प्राचार्य से प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से चतुर्थ पे-बैंड वेतनमान (37400-67000+9000एजीपी)स्वीकृत किया जाता है:-


स.क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	चतुर्थ पे-बैंड में स्थानन का दिनांक
1	2	3
1	डॉ.श्रीमती एलिना फिलिप, सहा.प्रा. अर्थशास्त्र	13.7.17
2	डॉ.श्रीमती मंदिराकार, सहा.प्रा. गणित	13.7.17
3	डॉ.श्रीमती अंजलि डिसूजा, सहा.प्रा. रसायनशास्त्र	28.7.06

3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं।

4. यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावें।


6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी।  
(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

  
(डॉ.सुषमा दुबे)  
अपर संचालक(वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

निरंतर....2

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
9. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या.आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
10. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय अग्रणी महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर ।
11. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय सेंट एलायसिस महाविद्यालय, जबलपुर । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
12. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय सेंट एलायसिस महाविद्यालय, जबलपुर ।

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल